अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर
Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-seplanajmeravvnl@gmail.com website:- www.avvnl.com

क्रं./अ.वि.वि.नि.लि./अधी.अभि.(योजना)/एम.आई.एस/अजमेर/2016–17/प्रे. 6431 दिनांक 08-11-2016

श्रीमान संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस),
अविविनिलि, अजमेर/झुंझुंनू/उदयपुर।
अधीक्षण अभियन्ता (पवस)
अविविनिलि,
अजमेर(एसीसी/एडीसी)/भीलवाड़ा/नागौर/सीकर/
झुंझुंनू/बांसवाड़ा/डूंगरपुर/चितौड़गढ/राजसमन्द/उदयपुर।

विषयः– "मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान" के दिशा–निर्देशों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में एव किसानों को अच्छी गुणवत्ता की व्यवधान रहित बिजली उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान करने, सुरक्षित बिजली तथा यथा संभव विद्युत दरों पर नियंत्रण रखने हेतु विद्युत छीजत के स्तर को 15 प्रतिशत तक रखने के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान" प्रारंभ करने का निर्णय लिया गयाहै।

इस अभियान में वितरण निगमों के साथ–साथ स्थानीय प्रशासन एवं जन भागीदारी की महती आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न विभागों के समन्वय से विद्युत सुधार कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

यह अभियान निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ किया गया है:–

(i) फीडर पर ट्रिपिंग में कमी लाकर एव ट्रान्सफॉर्मर जलने की वार्षिक दर को कम करके उपभोक्ताओं को निर्धारित वोल्टेज पर व्यवधान रहित गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति।

(ii) औद्योगिक फीड़रों पर बिजली छीजत 2 प्रतिशत से कम और अन्य फीड़रों पर बिजली छीजत 15 प्रतिशत से कम करने के लक्ष्य को प्राप्त कर प्राप्त किए हुए लक्षित स्तर पर बनाये रखना।

(iii) विद्युत दुर्घटनाओं में कमी।

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश करते हुए उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करना।

इस अभियान को 31 दिसम्बर 2017 तक निम्न तीन चरणो में सम्पादित किया जाना है:–
प्रथम चरण : 31 दिसम्बर 2016 (पहले एक तिहाई फीडर)
द्वितीय चरण : 30 जून 2017 (दूसरे एक तिहाई फीडर)
तृतीय चरण : 31 दिसम्बर 2017 (शेष एक तिहाई फीडर)

प्रत्येक चरण में प्रत्येक कनिष्ठ अभियन्ता क्षेत्र के एक तिहाई 33 केवी सब स्टेशन/फीडरों/क्षेत्रों का सुधार कार्य पूरा किया जावेगा।

प्रत्येक फीड़र के लिए फीड़र इन्चार्ज की नियुक्ति कर, फीड़रवार कार्य सुधार योजना अनुसार सुधार कार्य क्रियान्वयन किया जावेगा एवं प्रत्येक फीड़र पर फीड़र प्रबंध कमेटी गठित कर लक्ष्य प्राप्ति हेतु जन सहयोग प्राप्त किया जावेगा।

शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार हेतु कार्यो का चिन्हीकरण कर योजना बनवाने और उसके क्रियान्वयन हेतु अधिशासी अभियन्ता (ऑपरेशन एवं सतर्कता)को जिम्मेदारी दी गई है।

जनजागरण एवं प्रभावी संवाद हेतु वितरण निगमों द्वारा जनसंपर्क विभाग के सहयोग से"सूचनाशिक्षा एवंसंचार (Information Education and Communication)" योजना तैयार कर क्रियान्वित की जावेगी।

प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न मीडिया तंत्र यथा दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों, नुक्कड़ नाटक, विद्यालयों मे विभिन्न कार्यक्रम, प्रभातफेरी, रात्रि चौपाल, नारा लेखन, सोशल मीडिया यथा ट्वीटर, फेसबुक, वाट्सऐप आदि तकनीकी साधनों .का उपयोग करते हुए आम नागरिकों/उपभोक्ताओं को इस अभियान की जानकारी देकर विद्युत सुधार, विद्युत संरक्षण, विद्युत सुरक्षा एव विद्युत छीजत कम करने के कार्यों के संपादनमें इनके सहयोग के लिए प्रेरित किया जावेगा।

"**मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान**" के उद्देश्यों की पूर्ति एव निर्धारित समय अवधि में कार्यपूर्ण करने हेत विभिन्न विभागों के समन्वय तथा सहयोग एवं समय–समय पर प्रबोधन एवं समीक्षा हेतु जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

1. जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी, जिसमे संबंधित अधीक्षण अभियन्ता (प. व स.) सदस्य सचिव हैं।
2. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी, जिसमें संबंधित अधीक्षण अभियन्ता (प.व स.) सदस्य सचिव हैं।
3. उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय कमेटी, जिसमें संबंधित अधिशासी अभियन्ता (प. व स.) सदस्य सचिव हैं।

"**मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान**" का प्रबल आग्रह यह है कि वितरण व्यवस्था में सुधार एवं विद्युत छीजत कम करने के प्रयासों मे आम जनता, जनप्रतिनिधि एवं प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों की सहभागिता प्राप्त कर इस अभियान की सफलता सुनिश्चित की जाये। इस अभियान के ऊर्जा विभाग,राजस्थान सरकार से जारी दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि योजनानुसार क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यो को चरणबद्ध व समयावधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर एवं किये गए समस्त कार्यों की प्रगति मासिक रूप से अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) को उपलब्ध करावें, विशेष रूप से विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों की बैठक आयोजित कर होने वाली प्रगति और समीक्षा सलंग्न प्रारूपनुसार अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) के कार्यालय को सूचित किया जावे।जोनल मुख्य अभियन्ता उनके क्षेत्र में होने वाली समस्त समीक्षा बैठकों की रूप रेखाव नियत समय व दिवस का सम्बन्धित जिला कलेक्टर से वार्तालाप व समन्वय स्थापित कर मासिक कलेण्डर जारी करेंगे एवं बैठकों की प्रगति रिपोर्ट का निरीक्षण कर अपनी टिप्पणी सहित इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार "मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान" हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना समस्त संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

प्रबन्ध निदेशक
अजमेर डिस्कॉम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितहै:–

1. अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।
2. निजी सचिव–प्रमुख ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव–सलाहकार (ऊर्जा), राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान् प्रबन्धक निदेशक जयपुर/जोधपुर वि.वि.नि.लि. जयपुर/जोधपुर ।
5. श्रीमान् निदेशक (वित्त/तकनीकि) अविविनिलि अजमेर।
6. श्रीमान मुख्य अभियन्ता/अति. मुख्य अभियन्ता (HQ/Training-Project/MM), अविविनिलि, अजमेर।
7. श्रीमान् मुख्य लेखा अधिकारी (**A&R/ ETB/ IA-W&M**) अविविनिलि अजमेर।
8. सचिव (प्रशासन) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर।
9. कम्पनी सचिव, अविविनिलि, अजमेर।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सर्तकता), अविविनिलि, अजमेर।
11. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता (सर्तकता/वाणिज्य/एम.एण्ड.पी/टी.डबल्यू./डी.डी.यू.जी.जे.वाय/एमएम), अविविनिलि, अजमेर/उदयपुर।
12. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.) , अविविनिलि, अजमेर को निगम की वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित है।
13. श्रीमान जन सम्पर्क अधिकारी, अविविनिलि, अजमेर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

नामः जिला / उपखण्ड

नामः वृत्त / खण्ड

प्रबोधन व समीक्षा समीति का नाम..

मीटींग संख्या.......................... दिनांक..............................

मीटींग में उपस्थित सदस्य (मय विभागों के नाम)

मीटींग कार्यवाहीः–

क्रम संख्या	प्रबोधन व समीक्षा बिन्दु / विषय	पिछली बैठक में हुये संवाद व निर्णय / तय किया गया लक्ष्य व क्रियान्वयण की अवधि	क्रियान्वयण की वर्तमान स्थिति	इस बैठक में चर्चा / संवाद लिया गया निर्णय / निष्कर्ष	पूर्व बैठकों की समीक्षा के पश्चात लम्बित कार्य टिप्पणी सहीत	जिला / उपखण्ड स्तरीय **I.E.C.** योजना का क्रियान्वयन व उपलब्धियाँ

हस्ताक्षर (सदस्य सचिव)

A4

D:\Lokesh\Yadav Sir\Letter Hindi Docx